

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 443 / 14-1

आगरा : दिनांक : जुलाई 26, 2022

सेवा में,

अधिशांसी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2  
लोक निर्माण विभाग, आगरा।

विषय :- जनपद आगरा में चंदौसी-आगरा-तांतपुर कोट मार्ग एस0एच0-39 के किमी0 0.236 के चैनेज 235.030 ग्राम रैना नगर तहसील खेरागढ एवं मी0 245 के चैनेज 244.010 ग्राम सरेंधी तहसील खेरागढ पर निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग आगरा द्वारा राज्य सडक निधि योजना के अन्तर्गत राज्य मार्ग सं0-39 की बांधी पटरी पर प्रस्तावित दो ट्रक ले बाई निर्माण कार्य हेतु 0.408 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू.पी./06/143/2022/एफ.सी./273 दिनांक 20.07.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-286/11सी-1 दिनांक 22.07.2022,

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का तत्काल निस्तारण करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें

*अदरश*  
*A.Kumar*

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक

443

दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी आगरा को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप विषयगत प्रकरण में प्रस्तावित स्थल पर गूगल इमेज पर वृक्ष प्रदर्शित हो रहे हैं, के क्रम में आप प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें कि प्रस्तावित स्थल में किसी वृक्ष का पातन तो नहीं किया जाना है।

*A.Kumar*

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।